



पहली
FIRST

अनुदानों की पूरक मांगें
SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

केन्द्रीय सरकार के व्यय के लिए
FOR EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT

(रेलवे को छोड़कर)
(Excluding Railways)

2013-2014

(संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) के अनुसार संसद में प्रस्तुत। राष्ट्रपति की सिफारिश, जो मांगें पेश करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1)(क) और (2) के साथ पठित अनुच्छेद 113 के खण्ड (3) के अन्तर्गत आवश्यक है, प्राप्त कर ली गई है)
(Laid before Parliament in pursuance of sub-clause (a) of clause (1) of Article 115 of the Constitution. The recommendation of the President, required under clause (3) of Article 113 read with clauses (1)(a) and (2) of Article 115 of the Constitution for making the Demands has been obtained)

अगस्त August, 2013

परिचायक टिप्पणी

विषय : अनुदानों की पूरक मांगों का पहला बैच 2013-14.

INTRODUCTORY NOTE

Subject : First Batch of Supplementary Demands for Grants, 2013-2014.

वर्ष 2013-14 की अनुदानों हेतु पूरक मांगों के प्रथम बैच में 14 अनुदान शामिल हैं। ₹7499.42 करोड़ के सकल अतिरिक्त व्यय को प्राधिकृत करने के लिए संसद का अनुमोदन प्रार्थित है। इसमें से, प्रस्ताव, जिसमें कुल ₹127.14 करोड़ का निवल नकद व्यय, जो मंत्रालयों/विभागों की बचत अथवा ₹7372.25 करोड़ तक की विधित प्राप्तियां/वसूलियां शामिल है। इसके अलावा, ₹3.00 लाख व्यय की प्रत्येक मद के लिए एक लाख, का सांकेतिक प्रावधान मांगा जा रहा है जो नई सेवा अथवा सेवा के नए साधनों के मामले में बचत के पुनर्वियोजन को सक्षम बनाने के लिए है।

The First batch of Supplementary Demands for Grants for 2013-2014 includes 14 Grants. Approval of the Parliament is sought to authorise gross additional expenditure of ₹7499.42 crore. Of this, the proposals involving net cash outgo aggregate to ₹127.14 crore and gross additional expenditure, matched by savings of the Ministries/Departments or by enhanced receipts/recoveries aggregates to ₹7372.25 crore. Besides, token provision of ₹3.00 lakh is being sought, one lakh for each item of expenditure, for enabling reappropriation of savings in cases involving New Service or New Instrument of Service.

2. अतिरिक्त व्यय की मद, जिसमें ₹127.14 करोड़ का निवल नकद खर्च, शामिल है, निम्नानुसार है :

2. The items of additional expenditure involving net cash outgo of ₹127.14 crore are as follows:

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
नकद व्यय	Cash Outgo			
संस्कृति मंत्रालय	MINISTRY OF CULTURE			
19 संस्कृति मंत्रालय	19 Ministry of Culture			
श्री केदारनाथ मंदिर की पुनःस्थापना के लिए।	For restoration of Shri Kedarnath Temple	2.00	...	2.00
खान मंत्रालय	MINISTRY OF MINES			
67 खान मंत्रालय	67 Ministry of Mines			
मशीनरी और उपकरण के लिए भारतीय भू-सर्वेक्षण की अतिरिक्त आवश्यकता के लिए (₹98.14 करोड़) और व्यय संबंधी वैश्विक निविदा के लिए भारत गोल्ड माइन्स लिमि. को सामान्य सहायता अनुदान (₹2.00 करोड़)।	For additional requirement of Geological Survey of India towards machinery and equipment (₹98.14 crore) and Grants-in-Aid General to Bharat Gold Mines Ltd. towards Global Tender related expenditure (₹2.00 crore).	98.14	2.00	100.14
शहरी विकास मंत्रालय	MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT			
102 सार्वजनिक निर्माण	102 Public Works			
उच्चतम न्यायालय के प्रमुख निर्माण कार्य हेतु।	For Major Works of Supreme Court of India	...	25.00	25.00
कुल नकद खर्च	Total Cash Outgo	100.14	27.00	127.14

3. अनुदान की पूरक मांग के इस बैच में ₹7372.25 करोड़ के लिए तकनीकी पूरक अनुदान/पुनः विनियोजन के प्रस्ताव शामिल हैं जो अतिरिक्त प्राप्तियों/वसूलियों अथवा मंत्रालयों/विभागों की संबंधित बचत के बराबर है। मदें निम्नानुसार हैं:-

3. This Batch of Supplementary Demands for Grants includes proposals for technical supplementary grants/appropriations for ₹7372.25 crore which are matched by additional receipts/recoveries or corresponding savings of the Ministries/Departments. The items are as follows :

तकनीकी पूरक अनुदान मांगें

Technical Supplementary Demands for Grants

कृषि मंत्रालय

MINISTRY OF AGRICULTURE

1. कृषि और सहकारिता विभाग

1 Department of Agriculture and Cooperation

केरल में नारियल बगीचों के पुनःरोपण व पुनरुज्जीवन हेतु (₹75.00 करोड़), कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को इक्विटी अनुदान (₹50.00 करोड़), एफपीओ के लिए क्रेडिट गारंटी निधि (₹100.00 करोड़) और न्यूट्रीफार्मस संबंधी प्रायोगिक परियोजना (₹200.00 करोड़)।

For replanting and rejuvenation of Coconut Gardens in Kerala (₹75.00 crore), equity grant to Farmer Producer Organisations (FPO) (₹50.00 crore), Credit Guarantee Fund for FPO (₹100.00 crore) and a pilot project on Nutri-Farms (₹200.00 crore).

425.00 ... 425.00

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
संस्कृति मंत्रालय	MINISTRY OF CULTURE			
19 संस्कृति मंत्रालय	19 Ministry of Culture			
भारतीय राष्ट्रीय न्यास को कला व सांस्कृतिक धरोहर हेतु सामान्य सहायता अनुदान के लिए।	For Grants-in-Aid General to Indian National Trust for Art and Cultural Heritage.	100.00	...	100.00
33 वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
आर्थिक कार्य विभाग	33 Department of Economic Affairs			
(क) 'निर्भय निधि' स्थापित करने हेतु (₹1000.00 करोड़) और युवाओं की रोजगार योग्यता व उत्पादकता में बढ़ोत्तरी करने हेतु राष्ट्रीय कौशल विकास कार्पोरेशन को अतिरिक्त निधि (₹1000.00 करोड़)।	(a) For setting up of 'Nirbhaya Fund' (₹1000.00 crore) and additional funds to National Skill Development Corporation to boost employability and productivity of the youth (₹1000.00 crore).	2,000.00	...	2,000.00
(ख) मूल्य के रख-रखाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक निधि को भुगतान हेतु (₹192.79 करोड़) और अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक निधि को ऋण हेतु प्रावधान (₹1830.00 करोड़)।	(b) For payment to International Monetary Fund towards Maintenance of Value (₹192.79 crore) and provision of loans to International Monetary Fund (₹1830.00 crore).	...	2,022.79	2,022.79
34. वित्त सेवा विभाग	34 Department of Financial Services			
सूक्ष्म वित्त संस्थानों को इक्विटी और क्वासी इक्विटी के लिए (₹ 100.00 करोड़), फैक्ट्रिंग अधिनियम, 2011 के अनुरूप क्रेडिट गारंटी निधि स्थापित करने के लिए (₹ 500.00 करोड़) और महिला बैंक की स्थापना के लिए (₹ 1000.00 करोड़)	For provision of equity and quasi-equity to Microfinance Institutions (₹100.00 crore), setting up a Credit Guarantee Fund in consonance with Factoring Act, 2011 (₹500.00 crore) and establishment of Women's Bank (₹1000.00 crore).	1,100.00	500.00	1,600.00
भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES			
51. भारी उद्योग विभाग	51 Department of Heavy Industry			
एचएमटी लि. के पुनरुज्जीवन के लिए (₹217.00 करोड़), नागालैंड पल्प और पेपर कंपनी लि. की पुनरुज्जीवन आयोजना का कार्यान्वयन (₹ 100.00 करोड़) और एचएमटी लि. को सेतु ऋण का प्रावधान (₹11.46 करोड़)	For revival plan of HMT Ltd. (₹217.00 crore), implementation of revival plan of Nagaland Pulp and Paper Company Ltd. (₹100.00 crore) and provision of bridge loan to HMT Ltd. (₹11.46 crore).	328.46	...	328.46
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT			
60 उच्चतर शिक्षा विभाग	60 Department of Higher Education			
अलीगढ़ मुसलिम विश्वविद्यालय (₹ 100.00 करोड़) और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को अनुदान (₹ 100.00 करोड़) हेतु।	For Grants to Aligarh Muslim University (₹100.00 crore) and Banaras Hindu University (₹100.00 crore)	200.00	...	200.00
पंचायती राज मंत्रालय	MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ			
71. पंचायती राज मंत्रालय	71 Ministry of Panchayati Raj			
राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान के लिए।	For Rajiv Gandhi Panchayat Sashaktikaran Abhiyan.	200.00	..	200.00
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY			
85. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	85 Department of Science and Technology			
"आम आदमी के लिए समावेशी नवप्रवर्तन हेतु निधि" के लिए अनुदान।	Grants for "Fund for Inclusive Innovations for Common Man".	200.00	...	200.00
कपड़ा मंत्रालय	MINISTRY OF TEXTILES			
93. कपड़ा मंत्रालय	93 Ministry of Textiles			
हथकरघा क्षेत्र के लिए पुनरुज्जीवन सुधार और पुनः संरचना पैकेज।	For Revival Reforms and Restructuring Package for Handloom Sector.	96.00	...	96.00

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
105. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	105 MINISTRY OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT			
एकल महिलाओं, निराश्रितों व विधवाओं के लिए शेल्टर होम्स के निर्माण हेतु।	For construction of Shelter Homes for single women, destitute and widows.	200.00	...	200.00
जोड़ तकनीकी	Total Technical	4,849.46	2,522.79	7,372.25
4. नीचे सूचीबद्ध मदों के सम्बन्ध में भी प्रत्येक के लिए 1 लाख के पूरक अनुदान का प्रस्ताव किया गया जिसे सम्मुख उल्लिखित व्यय, संबंधित अनुदान के राजस्व अथवा पूंजी भाग, जैसा मामला हो, के भीतर बचत के पुनःविनियोग से पूरा किया जाएगा।	4. Supplementary grants of Rs.1 lakh each are also proposed to be taken in respect of items listed below, the expenditure indicated against which will be met by reappropriation of savings within the Revenue or Capital Section, as the case may be, of the relevant grant.			
सांकेतिक पूरक अनुदान मांगें	Token Supplementary Demands for grants			
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
33 आर्थिक कार्य विभाग	33 Department of Economic Affairs			
बजट प्रेस में मशीनरी की खरीदारी पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	For meeting additional expenditure on purchase of Machinery for Budget Press.	...	6.00	6.00
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS			
82. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	82 Ministry of Road Transport and Highways			
सीमा सड़क विंग द्वारा रख-रखाव के तहत गौण कार्यों के लिए अतिरिक्त व्यय हेतु।	For additional expenditure towards Minor Works under maintenance by Border Roads Wing.	...	75.00	75.00
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION			
91. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	91 Ministry of Statistics and Programme Implementation			
भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कोलकाता के पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान हेतु।	For Grants for creation of capital assets to Indian Statistical Institute, Kolkata.	11.08	...	11.08
जोड़ सांकेतिक	Total Token	0.01	0.02	0.03
समग्र कुल	GRAND TOTAL	4,949.61	2,549.81	7,499.42
निवल नकद खर्च	Net Cash Outgo	100.14	27.00	127.14
तकनीकी पूरक	Technical Supplementary	4,849.46	2,522.79	7,372.25
सांकेतिक पूरक	Token Supplementary	0.01	0.02	0.03

विषय सूची
CONTENTS

(करोड़ रुपए Rupees in crore)

मांग संख्या और शीर्षक	No. and Title of Demand	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
कृषि मंत्रालय	MINISTRY OF AGRICULTURE				
1 कृषि और सहकारिता विभाग	1. Department of Agriculture and Cooperation	Voted 425.00	...	425.00	1-2
संस्कृति मंत्रालय	MINISTRY OF CULTURE				
19. संस्कृति मंत्रालय	19. Ministry of Culture	Voted 102.00	...	102.00	3
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE				
33 आर्थिक कार्य विभाग	33. Department of Economic Affairs	Voted 1000.00	3022.80	4022.80	4-5
34 वित्तीय सेवा विभाग	34. Department of Financial Services	Voted 600.00	1000.00	1600.00	6
भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES				
51 भारी उद्योग विभाग	51. Department of Heavy Industry	Voted ...	328.46	328.46	7
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT				
60 उच्च शिक्षा विभाग	60. Department of Higher Education	Voted 200.00	...	200.00	8
खान मंत्रालय	MINISTRY OF MINES				
67 खान मंत्रालय	67. Ministry of Mines	Voted 2.00	98.14	100.14	9
पंचायती राज मंत्रालय	MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ				
71 पंचायती राज मंत्रालय	71. Ministry of Panchayati Raj	Voted 200.00	...	200.00	10
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS				
82 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	82. Ministry of Road Transport and Highways	Voted 0.01	...	0.01	11
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY				
85 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	85. Department of Science and Technology	Voted 200.00	...	200.00	12
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION				
91 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	91. Ministry of Statistics and Programme Implementation	Voted 0.01	...	0.01	13
कपड़ा मंत्रालय	MINISTRY OF TEXTILES				
93 कपड़ा मंत्रालय	93. Ministry of Textiles	Voted 96.00	...	96.00	14
शहरी विकास मंत्रालय	MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT				
102 लोक निर्माण कार्य	102. Public Works	Voted ...	25.00	25.00	15
महिला और बाल विकास मंत्रालय	MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT				
105 महिला और बाल विकास मंत्रालय	105. Ministry of Women and Child Development	Voted 200.00	...	200.00	16
कुल जोड़	GRAND TOTAL	3025.02	4474.40	7499.42	
	<i>भारित</i> Charged	
	स्वीकृत Voted	3025.02	4474.40	7499.42	
अनुबंध	ANNEXURE				17-27

मांग संख्या DEMAND NO. 1

कृषि और सहकारिता विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 1 देखिये)

(See page 1 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	21874.34	59.16	21933.50
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	425.00	...	425.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	22299.34	59.16	22358.50
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2401 - कृषि कार्य	स्वीकृत: 2401 -Crop Husbandry	Voted: 75.00 (क)	...	75.00
2435 - अन्य कृषि कार्यक्रम	स्वीकृत: 2435 -Other Agricultural Programmes	Voted: 150.00 (ख)	...	150.00
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted: 200.00 (ग)	...	200.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 425.00	...	425.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (i) पूरे केरल राज्य में नारियल के बगीचे पुनः लगाने और पुनर्जीवित करने हेतु विस्तारित स्कीम के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान (75 करोड़ रुपए)।

योजना मंत्रालय की मांग सं.75 से समान राशि के अभ्यर्पण को देखते हुए उपर्युक्त मद में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

(ii) महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित जिलों में बागों के पुनरुज्जीवन हेतु "विशेष पैकेज" के तहत राष्ट्रीय बागबानी मिशन के अंतर्गत अतिरिक्त सहायता अनुदान (451.65 करोड़ रुपए), अनु. जाति हेतु विशेष घटक योजना (55.76 करोड़ रुपए) और जनजातीय क्षेत्र उप-आयोजना (50.19 करोड़ रुपए) प्रदान करना।

अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध होने के मद्देनजर सांकेतिक पूरक मांगा गया है।

(ख) (i) कृषक उत्पादक संगठनों को समान इक्विटी अनुदान के लिए सामान्य सहायता अनुदान (50 करोड़ रुपए)।

(ii) कृषक उत्पादक संगठनों के लिए क्रेडिट गारंटी हेतु लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ को सहायता अनुदान (100 करोड़ रुपए)।

योजना मंत्रालय की मांग सं.75 से समान राशि के अभ्यर्पण को देखते हुए उपर्युक्त मद में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grants are required for:

(a) (i) additional Grants-in-aid General (₹ 75 crore) towards implementation of extended scheme of replanting and rejuvenation of Coconut Gardens to entire state of Kerala.

Taking into account the surrender of an equivalent amount from Demand No.75 Ministry of Planning, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

(ii) providing additional Grants-in-Aid General under National Horticulture Mission (₹ 451.65 crore), Special Component Plan for Scheduled Caste (₹ 55.76 crore) and Tribal Area Sub-Plan (₹ 50.19 crore) under 'Special Package' for rejuvenation of orchards in drought affected districts of Maharashtra.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) (i) Grants-in-aid General (₹ 50 crore) for matching equity grant to Farmer Producer Organizations.

(ii) Grants-in-aid General (₹ 100 crore) to Small Farmers Agri Business Consortium for Credit Guarantee Fund for Farmer Producer Organizations.

Taking into account the surrender of an equivalent amount from Demand No.75 Ministry of Planning, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2013-2014 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(ग) कुपोषण से सर्वाधिक प्रभावित जिलों में लोह समृद्ध बाजरा, प्रोटीन से भरपूर मकई और जिंक से भरपूर गेहूं जैसी नई फसलें चालू करने के लिए न्यूट्री फार्मस पर एक प्रायोगिक परियोजना के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना स्कीम के तहत अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान (200 करोड़ रुपए)।

योजना मंत्रालय की मांग सं.75 से समान राशि के अभ्यर्पण को देखते हुए उपर्युक्त मद में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

(c) additional Grants-in-aid General (₹ 200 crore) under the scheme Rashtriya Krishi Vikas Yojna to implement a pilot project on Nutri-Farms for introducing new crop varieties that are rich in micro-nutrients such as iron-rich bajra, protein-rich maize and zinc-rich wheat in districts most affected by malnutrition.

Taking into account the surrender of an equivalent amount from Demand No.75 Ministry of Planning, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 19

संस्कृति मंत्रालय

MINISTRY OF CULTURE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 19 देखिये)

(See page 19 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	स्वीकृत: Supplementary Estimate of the amount now required:	Voted: 2023.00	39.00	2062.00
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत: Total (Original plus Supplementary)	Voted: 102.00	...	102.00
		2125.00	39.00	2164.00
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:			
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2205 - कला और संस्कृति	स्वीकृत: 2205 -Art and Culture	Voted: 102.00	...	102.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (i) इण्डियन नेशनल ट्रस्ट फार आर्ट एण्ड कल्चरल हेरीटेज (आई.एन.टी.ए.सी.एच.) के लिए सामान्य अनुदान सहायता (100.00 करोड़ रुपये)।
योजना मंत्रालय की मांग सं.75 से समान राशि के अभ्यर्पण को देखते हुए उपर्युक्त मद में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (ii) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा श्री केदारनाथ मंदिर के पुनरुद्धार हेतु लघु निर्माण कार्य (2.00 करोड़ रुपये)।
उपर्युक्त में नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for:

- (i) Grants-in-aid General to Indian National Trust for Art and Cultural Heritage (INTACH) (₹ 100.00 crore).
Taking into account the surrender of an equivalent amount from Demand No.75 Ministry of Planning, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
- (ii) Minor Works for Restoration of Shri Kedarnath Temple by Archaeological Survey of India(ASI)(₹ 2.00 crore)
The above expenditure will entail a cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 33

आर्थिक कार्य विभाग

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 33 देखिये)

(See page 33 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	8865.12	66408.89	75274.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	1000.00	3022.80	4022.80
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	9865.12	69431.69	79296.81
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	स्वीकृत: 2235 -Social Security and Welfare	Voted: 1000.00 (का)	...	1000.00
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4075 - विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4075 - Capital Outlay on Miscellaneous General Services	Voted: ...	0.01 (खब)	0.01
5465 - सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों में निवेश	स्वीकृत: 5465 - Investments in General Financial and Trading Institutions	Voted: 1000.00 (गं)	...	1000.00
5466 - अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में निवेश	स्वीकृत: 5466 - Investments in International Financial Institutions	Voted: ...	192.79 (घद)	192.79
7475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए ऋण	स्वीकृत: 7475 - Loans for Other General Economic Services	Voted: ...	1830.00 (डे)	1830.00
जोड़ (पूंजी भाग)	स्वीकृत: Total (Capital Section)	Voted: 1000.00	2022.80	3022.80
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 2000.00	2022.80	4022.80

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) महिलाओं की सुरक्षा हेतु "निर्भय निधि" की स्थापना। योजना मंत्रालय की मांग सं.75 से समान राशि के अभ्यर्पण को देखते हुए उपयुक्त मद में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (ख) बजट प्रैस के लिए लघु शीर्ष मशीनरी और उपस्कर के तहत मशीनरी और उपकरण का व्यय पूरा करना (6 करोड़ रुपये)। अनुदान के समान भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।
- (ग) उनके रोजगार और उत्पादकता में बढ़ोतरी करने के लिए विभिन्न कौशल विकास करने हेतु देश के युवा वर्ग को प्रेरित करने के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं के विस्तार के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास कापरिशन को अतिरिक्त निधि प्रदान करना।

The supplementary grants are required for:

- (a) setting up of 'Nirbhaya Fund' for safety of Women. Taking into account the surrender of an equivalent amount from Demand No.75 Ministry of Planning, the above expenditure will not entail cash outgo.
- (b) meeting expenditure for Machinery and Equipment under minor head Machinery and Equipment for Budget Press (₹ 6 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) providing additional funds to National Skill Development Corporation to extend training facilities to motivate the youth of the country to develop different skills in order to boost their employability and productivity.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2013-2014 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

<p>योजना मंत्रालय की मांग सं.75 से समान राशि के अभ्यर्पण को देखते हुए उपयुक्त मद में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।</p>	<p>Taking into account the surrender of an equivalent amount from Demand No.75 Ministry of Planning, the above expenditure will not entail cash outgo.</p>
<p>(घ) मूल्य के रख-रखाव (एमओवी) के लिए अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक निधि (आईएमएफ) को भुगतान करना। इससे कोई नकद भुगतान नहीं होगा क्योंकि यह प्रतिभूतियों के रूप में प्राप्तियों के समान होगा।</p>	<p>(d) making payment to International Monetary Fund (IMF) towards Maintenance of Value (MoV). There will be no cash outgo as this will be matched by receipts in the form of securities.</p>
<p>(ङ) नई उधार व्यवस्था (एनएबी) के तरह अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक निधि (आईएमएफ) को ऋण प्रदान करना (1830 करोड़ रुपए)। इसमें नकद नहीं देना होगा क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक मूल्य तिथि पर भारत सरकार के खाते के नामे करेगा और इसी के साथ, एनएबी के नोट को उसी खाते में जमा करते हुए समान मूल्य तिथि पर भारतीय रिजर्व बैंक को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।</p>	<p>(e) providing of loans to International Monetary Fund (IMF) under New Arrangement to Borrow (NAB) (₹ 1830 crore). This will not entail cash outgo as RBI would debit the Government of India Account on value date and simultaneously the NAB Notes will be transferred to the RBI on the same value date by crediting the same account.</p>

मांग संख्या DEMAND NO. 34

वित्तीय सेवा विभाग

DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 34 देखिये)

(See page 34 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	स्वीकृत: Supplementary Estimate of the amount now required:	Voted: 7468.99	29900.40	37369.39
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत: Total (Original plus Supplementary)	Voted: 8068.99	30900.40	38969.39
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3465 - सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थान	स्वीकृत: 3465 -General Financial and Trading Institutions	Voted: 100.00 (का)	500.00 (खब)	600.00
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5465 - सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों में निवेश	स्वीकृत: 5465 - Investments in General Financial and Trading Institutions	Voted: 1000.00 (गं)	...	1000.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 1100.00	500.00	1600.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एमएफआई) को इक्विटी और क्वासी इक्विटी प्रदान करने के लिए भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक (सिडबी) से सृजित भारतीय सूक्ष्मवित्त इक्विटी निधि को 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त निधि। योजना मंत्रालय की मांग सं.75 से समान राशि के अभ्यर्पण को देखते हुए उपर्युक्त मद में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (ख) संसद द्वारा पारित फैक्ट्रिंग अधिनियम, 2011 के अनुरूप एक क्रेडिट गारंटी निधि स्थापित करने के लिए भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक (सिडबी) को 500 करोड़ रुपए प्रदान करना। मांग सं.33 वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के तहत प्रमुख शीर्ष 5475 से समान राशि के अभ्यर्पण के मद्देनजर उपर्युक्त मद में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (ग) महिला बैंक की स्थापना हेतु 1000 करोड़ रुपए आरंभिक पूंजी प्रदान करना। मांग सं.75 से समान राशि के अभ्यर्पण को देखते हुए उपर्युक्त मद में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grants are required for:

- (a) additional funds of ₹ 100 crore to India Microfinance Equity Fund created with Small Industrial Development Bank of India (SIDBI) to provide equity and quasi-equity to Microfinance Institutions (MFIs). Taking into account the surrender of an equivalent amount from Demand No.75 Ministry of Planning, the above expenditure will not entail cash outgo.
- (b) providing a corpus of ₹ 500 crore to Small Industrial Development Bank of India (SIDBI) to set up a Credit Guarantee Fund in consonance with Factoring Act, 2011 passed by the Parliament. Taking into account the surrender of an equivalent amount from Major Head 5475 under Demand No.33 Ministry of Finance Department of Economic Affairs. This will not entail cash outgo.
- (c) providing initial capital of ₹ 1000 crore for establishment of Women's Bank. Taking into account the surrender of an equivalent amount from Demand No.75 Ministry of Planning, the above expenditure will not entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 51

भारी उद्योग विभाग

DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 51 देखिये)

(See page 51 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	461.41	567.56	1028.97
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	...	328.46	328.46
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	461.41	896.02	1357.43
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
पूंजी भाग मुख्य शीर्ष	CAPITAL SECTION MAJOR HEAD			
4858 - अभियांत्रिक उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4858 - Capital Outlay on Engineering Industries	Voted: 217.00 (का)	...	217.00
4860 - उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4860 - Capital Outlay on Consumer Industries	Voted: 100.00 (खb)	...	100.00
6858 - अभियांत्रिक उद्योगों के लिए ऋण	स्वीकृत: 6858 - Loans for Engineering Industries	Voted: 11.46 (गc)	...	11.46
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 328.46	...	328.46

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) सीसीईए द्वारा अनुमोदित एचएमटी लिमि. की पुनरुज्जीवन आयोजना के अनुसार, (i) तकनीकी उन्नयन (30 करोड़ रुपए), (ii) कार्यशील पूंजी (45 करोड़ रुपए) और (iii) देयताएं और स्टॉप ड्यूटी (142 करोड़ रुपए)। क्योंकि अनुदान के राजस्व भाग में समान बचतें उपलब्ध हैं, जिन्हें अभ्यर्पित किया जाना है, तकनीकी पूरक मांगा गया है।
- (ख) नांगालैंड पल्प और पेपर कंपनी लिमि. (एनपीपीसी) के सीसीईए द्वारा अनुमोदित तुली, नांगालैंड पुनरुज्जीवन आयोजना के कार्यान्वयन हेतु बीआईएफआर के दिनांक 24.7.2013 के आदेश के अनुसार हिंदुस्तान पेपर कार्पोरेशन को इक्विटी शेयर के तौर पर अग्रिम (100 करोड़ रुपए) का निर्गम। क्योंकि अनुदान के राजस्व भाग में समान बचतें उपलब्ध हैं, जिन्हें अभ्यर्पित किया जाना है, तकनीकी पूरक मांगा गया है।
- (ग) अनुमोदित पुनरुज्जीवन आयोजना के अंश के तौर पर एचएमटी लि. को पहले वर्ष (11.46 करोड़ रुपए) के लिए 7 प्रतिशत ब्याज की दर से सेतु ऋण मुहैया करना। क्योंकि अनुदान के राजस्व भाग में समान बचतें उपलब्ध हैं, जिन्हें अभ्यर्पित किया जाना है, तकनीकी पूरक मांगा गया है।

The supplementary grants are required for:

- (a) (i) Technology Up-gradation (₹ 30 cr.) (ii) Working Capital (₹ 45 cr.) and (iii) Repayment of liabilities and Stamp Duty (₹ 142 cr.) as per the revival plan of HMT Ltd. approved by CCEA. As equivalent savings are available in the Revenue section of the Grant, which will be surrendered, a technical supplementary is sought.
- (b) Release of an advance (₹ 100 cr.) as Equity Share Capital to Hindustan Paper Corporation as per BIFR's order dated 24.7.2013 for implementation of revival plan of Nagaland Pulp and Paper Company Ltd. (NPPC), Tuli, Nagaland approved by CCEA. As equivalent savings are available in the Revenue section of the Grant, which will be surrendered, a technical supplementary is sought.
- (c) providing bridge loan @ 7% interest for first year (₹ 11.46 cr.) to HMT Ltd. as part of the approved revival plan. As equivalent savings are available in the Revenue section of the Grant, which will be surrendered, a technical supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 60

उच्चतर शिक्षा विभाग

DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 60 देखिये)

(See page 60 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	26750.00	...	26750.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	200.00	...	200.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	26950.00	...	26950.00
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:			
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2202 - सामान्य शिक्षा	स्वीकृत: 2202 -General Education	Voted: 200.00 (क)a)	...	200.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान स्कीम के अन्तर्गत पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (i) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (₹ 100.00 करोड़) तथा (ii) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (₹ 100.00 करोड़)।

योजना मंत्रालय की मांग सं. 75 से समान राशि के अभ्यर्पण को देखते हुए उपर्युक्त में कोई अतिरिक्त नकद नहीं होगा।

The supplementary grant is required for:

(a) Grants for creation of capital assets to (i) Aligarh Muslim University (₹ 100.00 crore) and (ii) Banaras Hindu University (₹ 100.00 crore) under the scheme "Grants to Central Universities".

Taking into account the surrender of an equivalent amount from Demand No.75 Ministry of Planning, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 67

खान मंत्रालय

MINISTRY OF MINES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 67 देखिये)

(See page 67 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	0.05	...	0.05
	स्वीकृत:	Voted:	744.50	246.53	991.03
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	2.00	98.14	100.14
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		746.55	344.67	1091.22
	भारित:	Charged:	0.05	...	0.05
	स्वीकृत:	Voted:	746.50	344.67	1091.17

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2853 - अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	स्वीकृत: 2853 -Non-Ferrous Mining and Metallurgical Industries	Voted: ...	2.00 (का)	2.00
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4853 - अलौह खनन और धातुकर्म उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4853 - Capital Outlay on Non-Ferrous Mining and Metallurgical Industries	Voted: 98.14 (खब)	...	98.14
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 98.14	2.00	100.14

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

- | | |
|--|--|
| (क) वैश्विक निविदा संबंधी व्यय के लिए भारत गोल्ड माइन्स लि. को अतिरिक्त आवश्यकता के रूप में ₹ 2 करोड़ की सामान्य अनुदान सहायता। इसमें नकद व्यय होगा। | (a) additional requirement of ₹ 2 crore as Grants-in-Aid General to Bharat Gold Mines Ltd. towards Global Tender related expenditure. This will entail cash outgo. |
| (ख) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए मशीनरी उपकरण की अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 98.14 करोड़)। इसमें नकद व्यय होगा। | (b) additional requirement towards machinery and equipment for Geological Survey of India ₹ 98.14 crore. This will entail cash outgo. |

मांग संख्या DEMAND NO. 71

पंचायती राज मंत्रालय

MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 71 देखिये)

(See page 71 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	स्वीकृत: Supplementary Estimate of the amount now required:	Voted: 7000.70	...	7000.70
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत: Total (Original plus Supplementary)	Voted: 200.00	...	200.00
		7200.70	...	7200.70
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:			
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 17.30 (का)	...	17.30
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted: 177.63 (खb)	...	177.63
3602 - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	स्वीकृत: 3602 -Grants-in-aid to Union Territory Governments	Voted: 5.07 (गc)	...	5.07
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 200.00	...	200.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) उत्तर-पूर्वी प्रदेश और सिक्किम के लाभार्थ राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान (आरजीपीएमए) के तहत निधि में बढोत्तरी (17.30 करोड़ रुपए)। योजना मंत्रालय की मांग सं.75 से समान राशि के अभ्यर्पण को देखते हुए उपयुक्त मद में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (ख) राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान के तहत अतिरिक्त आवश्यकता पूरा करना (177.63 करोड़ रुपए)। योजना मंत्रालय की मांग सं.75 से समान राशि के अभ्यर्पण को देखते हुए उपयुक्त मद में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (ग) राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान (आरजीपीएसए) के तहत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने (5.07 करोड़ रुपए)। योजना मंत्रालय की मांग सं.75 से समान राशि के अभ्यर्पण को देखते हुए उपयुक्त मद में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grants are required for:

- (a) augmentation of funds (₹ 17.30 crore) under Rajiv Gandhi Panchayat Sashaktikaran Abhiyan (RGPSA) for the benefit of NER and Sikkim. Taking into account the surrender of equivalent amount from Demand No. 75 Ministry of Planning, the above expenditure will not entail any cash outgo.
- (b) meeting additional requirement (₹ 177.63 crore) under Rajiv Gandhi Panchayat Sashaktikaran Abhiyan (RGPSA). Taking into account the surrender of equivalent amount from Demand No. 75 Ministry of Planning, the above expenditure will not entail any cash outgo.
- (c) meeting additional requirement (₹ 5.07 crore) under Rajiv Gandhi Panchayat Sashaktikaran Abhiyan (RGPSA). Taking into account the surrender of equivalent amount from Demand No. 75 Ministry of Planning, the above expenditure will not entail any cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 82

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 82 देखिये)

(See page 82 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged: ...	10.00	10.00
	स्वीकृत:	Voted: 16592.08	32264.15	48856.23
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	16592.09	32274.15	48866.24
	भारित:	Charged: ...	10.00	10.00
	स्वीकृत:	Voted: 16592.09	32264.15	48856.24
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3054 - सड़क और पुल	स्वीकृत: 3054 -Roads and Bridges	Voted: ...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

बार्डर सड़क विंग द्वारा अनुरक्षण के तहत लघु निर्माण कार्यों में ₹ 75.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए पूरक अनुदान अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for:

additional expenditure of ₹ 75.00 crores towards Minor Works under maintenance by Border Roads Wing. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 85

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 85 देखिये)

(See page 85 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	0.02	...	0.02
	स्वीकृत:	Voted:	3172.22	23.15	3195.37
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	200.00	...	200.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		3372.24	23.15	3395.39
	भारित:	Charged:	0.02	...	0.02
	स्वीकृत:	Voted:	3372.22	23.15	3395.37

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3425 - अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	स्वीकृत: 3425 -Other Scientific Research	Voted:	200.00	...	200.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आविष्कारों के कार्यान्वयन हेतु "फण्ड फार इन्क्ल्यू-सिव इनोवेशन्स फार कामन मैन" स्कीम के अन्तर्गत सामान्य अनुदान सहायता (₹ 200 करोड़)

योजना मंत्रालय की मांग सं.75 से समान राशि के अभ्यर्पण को देखते हुए उपर्युक्त मद में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant is required for:

Grants-in-aid General under the scheme "Fund for Inclusive Innovations for Common Man" (₹ 200 crore) for implementing Science & Technology innovations.

Taking into account the surrender of an equivalent amount by Demand No.75 Ministry of Planning, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 91

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 91 देखिये)

(See page 91 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	स्वीकृत: Supplementary Estimate of the amount now required:	Voted: 4935.53	16.15	4951.68
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत: Total (Original plus Supplementary)	Voted: 0.01	...	0.01
		4935.54	16.15	4951.69
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:			
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3454 - जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	स्वीकृत: 3454 - Census Surveys and Statistics	Voted: 0.01	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता को पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (11.08 करोड़ रुपए)

अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध होने के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक मांगा गया है।

The supplementary grant is required for:

Grants for creation of capital assets to Indian Statistical Institute, Kolkata (₹ 11.08 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 93

कपड़ा मंत्रालय

MINISTRY OF TEXTILES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 93 देखिये)

(See page 93 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	स्वीकृत: Supplementary Estimate of the amount now required:	Voted: 5423.92	7.67	5431.59
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत: Total (Original plus Supplementary)	Voted: 96.00	...	96.00
		5519.92	7.67	5527.59
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:			
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2851 - ग्रामीण एवं लघु उद्योग	स्वीकृत: 2851 -Village and Small Industries	Voted: 96.00	...	96.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

हैण्डलूम सेक्टर के पुनरुद्धार एवं पुनर्गठन पैकेज के लिए सामान्य अनुदान सहायता हेतु अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकता है। आर्थिक कार्य विभाग के मांग सं.33 से समान राशि के अभ्यर्पण को देखते हुए उपर्युक्त मद में कोई नकद राशि व्यय नहीं होगी।

The supplementary grant is required for:

additionality as Grant-in-aid-General towards Revival Reforms and Restructuring Package for Handloom Sector. Taking into account the surrender of an equivalent amount from Demand No. 33 Department of Economic Affairs, the above expenditure will not entail any cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 102

लोक निर्माण कार्य
PUBLIC WORKS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 130 देखिये)

(See page 130 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged: 1.03	1.00	2.03
	स्वीकृत:	Voted: 1469.49	558.25	2027.74
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: ...	25.00	25.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1470.52	584.25	2054.77
	भारित:	Charged: 1.03	1.00	2.03
	स्वीकृत:	Voted: 1469.49	583.25	2052.74

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
पूंजी भाग मुख्य शीर्ष	CAPITAL SECTION MAJOR HEAD			
4059 - लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4059 - Capital Outlay on Public Works	Voted: ...	25.00	25.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

भारतीय उच्चतम न्यायालय के प्रमुख निर्माण कार्य। इस प्रयोजनार्थ भारत की आकस्मिक निधि से ₹ 25.00 करोड़ बतौर अग्रिम लिए गए। पूरक अनुदान पारित होने पर इसे कोष में वापस जमा करा दिया जाएगा। इसमें नकद व्यय होगा (₹ 25.00 करोड़)।

The supplementary grant is required for:

Major Works of Supreme Court of India . An advance of ₹ 25.00 crore taken from the Contingency Fund of India for the purpose, shall be recouped to the Fund after the supplementary grant is passed. This will entail cash outgo (₹ 25.00 crore).

मांग संख्या DEMAND NO. 105

महिला और बाल विकास मंत्रालय

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 133 देखिये)

(See page 133 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2013-2014)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	20440.00	...	20440.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	200.00	...	200.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	20640.00	...	20640.00
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:			
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted: 200.00 (का)	...	200.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) अकेली महिला बेसहारा तथा विधवा हेतु शेल्टर होम के निर्माण के लिए "कामकाजी महिलाओं के लिए हास्टल" स्कीम के अन्तर्गत राज्य सरकारों को पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान।
योजना मंत्रालय की मांग सं.75 से समान राशि के अभ्यर्पण को देखते हुए उपयुक्त मद में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant is required for:

(a) Grants for creation of capital assets to the State Governments under the scheme "Hostels for Working Women" for construction of Shelter Homes for single women, destitute and widows.
Taking into account the surrender of an equivalent amount from Demand No.75 Ministry of Planning, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

अनुबंध ANNEXURE

वर्ष 2012-13 के दौरान संसद में प्रस्तुत की जाने वाली उन मदों का विवरण जिनमें पुनर्विनियोग अनुमोदित सीमाओं से अधिक हो जाता है।
Statement showing items requiring report to Parliament where re-appropriation exceeded the approved limits during 2012-13.

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

क्र. सं. Sl. No.	मंत्रालय/विभाग का नाम Name of the Ministry/ Department	योजना Scheme	बजट अनुमान 2012-2013 Budget Estimates 2012-2013	पुनर्विनियोग की राशि Amount of Re-appropriation	टिप्पणियां Remarks
1	2	3	4	5	6
1.	कृषि और सहकारिता विभाग Department of Agriculture and Corporation	3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान 03-केन्द्र आयोजना स्कीम हेतु अनुदान 442-क्रोप हसबैंडरी-कृषि इंजीनियरिंग 08-कृषक फील्ड पर बागबानी उपकरण सहित प्रशिक्षण की आउटसोर्सिंग और नवीन विकसित कृषि उपकरण का प्रदर्शन 08.00.31-सामान्य सहायता अनुदान 3601-Grants-in-Aid to State Government 03-Grants for Central Plan Scheme 442-Crop Husbandry-Agricultural Engineering 08-Outsourcing of training and demonstration of newly developed agricultural equipment including horticulture equipments at farmers' field. 08.00.31-Grants-in-Aid General	4.00	3.83	राज्य यांत्रिकीकरण स्तर के सुधार हेतु प्रदर्शन व प्रशिक्षण के लिए अतिरिक्त निधि की आवश्यकता के कारण। Due to requirement of additional funds for demonstration and training for improvement of States' mechanization level.
		09-कटाई उपरांत तकनीक 09.00.31-सामान्य सहायता अनुदान 09-Post Harvest Technology 09.00.31-Grants-in-Aid General	5.00	2.7337	मूल्य वृद्धि के लिए तकनीकी विकास के प्रदर्शन व प्रशिक्षण हेतु अतिरिक्त निधि की आवश्यकता के कारण। Due to requirement of additional funds for demonstration and training of technology development for value addition.
		796-जनजातीय क्षेत्र उप-आयोजना 06-फसल कटाई-बीज 01-बीजों के उत्पादन व वितरण की बीज अवसंरचना सुविधाओं का विकास और सुदृढीकरण 06.01.31-सामान्य सहायता अनुदान 796-Tribal Area Sub-Plan 06-Crop Husbandry-Seeds 01-Development and strengthening of Seed infrastructure facilities for production and distribution of seeds 06.01.31-Grants-in-Aid General	4.00	4.6005	राज्यों से जनजातीय क्षेत्र उप-आयोजना के लिए अधिक प्रस्ताव More proposals from States for tribal area sub-plan.

अनुदानों की पूरक मांगें 2012-2013 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
		04-केंद्रीय प्रयोजित आयोजना स्कीम हेतु अनुदान 446-फसल कटाई-अन्य अनुदान 03-राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस आयोजना कृषि 99-सूचना तकनीक 03.99.31-सामान्य सहायता अनुदान 04-Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes 446-Crop Husbandry-Other Grants 03-National E-Governance Plan Agriculture 99-Information Technology 03.99.31-Grants-in-Aid General	0.25	4.9854	राज्यों से अतिरिक्त निधि की आवश्यकता के कारण। Due to requirement of additional funds from States.
		मुख्य शीर्ष - 4401 113-कृषि इंजीनियरिंग 13-फार्म मशीनरी प्रशिक्षण व परीक्षण संस्थान 13.00.53-प्रमुख निर्माण कार्य Major Head 4401 113-Agricultural Engineering 13-Farm Machinery Training & Testing Institute 13.00.53-Major Works	2.50	1.00	के.लो.नि.वि. की संपन्न कार्य के लिए अपेक्षाएं पूरी करने हेतु। For meeting requirement of CPWD for work completed.
2.	पशुपालन, डेयरींग और मत्स्य पालन विभाग Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries	चारा विकास स्कीम (एम.एच. 3601) Fodder Development Scheme (M.H. 3601) पशु रोग नियंत्रण (एम. एच. 3601) Animal Disease Control (M.H. 3601) पशुधन गणना (एम.एच. 3601) Livestock Census (M.H. 3601)	33.50 51.00 123.90	23.00 7.00 13.94	सूखा प्रभावित राज्यों की अतिरिक्त जरूरतों को पूरा करने के लिए। For meeting additional requirement for drought affected States. राज्य सरकारों से अधिक मांगों के कारण। Due to more demands from State Governments. राज्य सरकारों से अधिक मांगों के कारण। Due to more demands from State Governments.
3.	संस्कृति मंत्रालय Ministry of Culture	मुख्य शीर्ष-2205 भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 2205.00.104.01.03.13 MH-2205 National Archives of India- 2205.00.104.01.03.13	2.80	2.00 (Plan)	अभिलेखागार सहायकों/हैल्पर्स के भुगतान के लिए; सिक्क्यूरिटी माइक्रोफिल्मिंग पर परियोजना, सार्वजनिक रिकार्ड का डिजीटलीकरण, पत्रिकाओं/भारत के राजपत्र की खरीदारी के लिए ठेकदार को भुगतान। For payment of Archival Assistants/Helpers; payment to contractors for project on security microfilming, digitization of public records, purchase of journal/Gazette of India.

अनुदानों की पूरक मांगें 2012-2013 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
		मुख्य शीर्ष-2205 सेन्द्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज, वाराणसी 2205.00.102.03.05.36 MH-2205			इसके कर्मचारियों को वेतन के भुगतान के लिए।
		Central Institute of Higher Tibetan Studies, Varanasi- 2205.00.102.03.05.36	5.50	2.00 (Non-Plan)	For payment of Salaries to its employees.
		मुख्य शीर्ष-2205 सेन्द्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बौद्ध स्टडीज, लेह- 2205.00.102.03.06.36 MH-2205			इसके कर्मचारियों को वेतन के भुगतान के लिए।
		Central Institute of Buddhist Studies, Leh- 2205.00.102.03.06.36	5.35	1.57 (Non-Plan)	For payment of Salaries to its employees.
		मुख्य शीर्ष-2205 मौलाना अबु कलाम आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज, कोलकाता- 2205.00.102.04.31.36 MH-2205			इसके कर्मचारियों को वेतन के भुगतान के लिए।
		Maulana Abu Kalam Azad Institute of Asian Studies, Kolkata- 2205.00.102.04.31.36	0.45	0.25 (Non-Plan)	For payment of Salaries to its employees.
		मुख्य शीर्ष-2205 खुदा बक्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना- 2205.00.105.02.03.36 MH-2205			इसके कर्मचारियों को वेतन के भुगतान के लिए।
		Khuda Baksh Oriental Public Library, Patna- 2205.00.105.02.03.36	2.06	0.60 (Non-Plan)	For payment of Salaries to its employees.
		मुख्य शीर्ष-2205 रामपुर रजा लाइब्रेरी, रामपुर- 2205.00.105.02.06.36 MH-2205			इसके कर्मचारियों को वेतन के भुगतान के लिए।
		Rampur Raza Library, Rampur- 2205.00.105.02.06.36	0.90	0.30 (Non-Plan)	For payment of Salaries to its employees.
		मुख्य शीर्ष-2205 नेशनल म्यूजियम (i) 2205.00.107.02.03.01 (ii) 2205.00.107.02.03.16 MH-2205			(i) इसके कर्मचारियों को वेतन के भुगतान के लिए। (ii) लंबित बिलों की क्लीअरेंस के लिए।
		National Museum (i) 2205.00.107.02.03.01 (ii) 2205.00.107.02.03.16	0.25	0.07 (Plan)	(i) For payment of Salaries to its employees.
			0.05	0.04	(ii) For clearance of pending bills.

अनुदानों की पूरक मांगें 2012-2013 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6	
	मुख्य शीर्ष-2205 सलारजंग म्यूजियम, हैदराबाद- 2205.00.107.04.00.36 MH-2205 Salarjung Museum, Hyderabad- 2205.00.107.04.00.36		(आयोजना-भिन्न)	9.50 (Non-Plan)	3.25	इसके कर्मचारियों को वेतन के भुगतान के लिए। For payment of Salaries to its employees.
	मुख्य शीर्ष-2205 इलाहाबाद म्यूजियम- 2205.00.107.07.00.36 MH-2205 Allahabad Museum- 2205.00.107.07.00.36		(आयोजना-भिन्न)	2.00 (Non-Plan)	1.25	इसके कर्मचारियों को वेतन के भुगतान के लिए। For payment of Salaries to its employees.
	मुख्य शीर्ष-2205 इंडियन म्यूजियम, कोलकाता- 2205.00.107.09.00.36 MH-2205 Indian Museum, Kolkata- 2205.00.107.09.00.36		(आयोजना-भिन्न)	8.70 (Non-Plan)	2.40	इसके कर्मचारियों को वेतन के भुगतान के लिए। For payment of Salaries to its employees.
	मुख्य शीर्ष-2205 भारतीय अभिलेखागार सर्वेक्षण- 2205.00.106.01.03.16 MH-2205 Archaeological Survey of India - 2205.00.106.01.03.16		(आयोजना)	10.00 (Plan)	4.99	इंडियन सिक्यूरिटी प्रेस ऑफ प्रिंटिंग के लंबित बिलों और टिकट वाले स्मारकों/स्थलों/म्यूजिमेंटों के लिए आम प्रवेश टिकट की आपूर्ति के भुगतान हेतु। For payment of pending bills of Indian Security Press of printing and supply of common entry tickets for ticketed monuments/sites/museums
	मुख्य शीर्ष-2205 भारतीय अभिलेखागार सर्वेक्षण- प्राचीन स्मारकों का संरक्षण 2205.00.106.02.03.27 MH-2205 Archaeological Survey of India- Conservation of Ancient Monuments- 2205.00.106.02.03.27		(आयोजना)	81.80 (Plan)	9.91	संरक्षण के जारी कार्यों के लिए अनिवार्य/सांविधिक भुगतान को पूरा करने के लिए। संरक्षित स्मारकों के आसपास के बगीचों का संरक्षण/रसायनिक संसाधन/पर्यावरणीय विकास और रखरखाव। To meet obligatory/statutory payments for ongoing works of conservation. Preservation/chemical treatments/environmental development and maintenance of garden surrounding of protected monuments
	मुख्य शीर्ष-2205 भारतीय अभिलेखागार सर्वेक्षण- प्राचीन स्मारकों का संरक्षण- 2205.00.106.02.03.28		(आयोजना)			सुरक्षा अर्थात् सीआई.एस.एस./सैन्य पुलिस; गार्ड/होम गार्ड और सुरक्षा गार्ड, सलाहकारों आदि के अनिवार्य/सांविधिक भुगतान यथा वेतन अन्य खर्च के निपटान हेतु।

अनुदानों की पूरक मांगें 2012-2013 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
		MH-2205 Archaeological Survey of India- Conservation of Ancient Monuments- 2205.00.106.02.03.28	31.50	22.75 (Plan)	To clear obligatory/statutory payment, i.e. salary other expenses of security viz. CISF/Armed police; Guard/Home guard and private security guards, consultants, etc.
		मुख्य शीर्ष-2205 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय 2205.00.107.06.00.31		(आयोजना)	स्थापना दिवस, अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस और सीमा-पार संस्कृति और सम्प्रेषण पर अन्तरराष्ट्रीय सगोष्ठी सह प्रदर्शनी के आयोजन हेतु।
		MH-2205 Indira Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalaya 2205.00.107.06.00.31	1.50	0.50 (Plan)	For celebration of Foundation Day, International Women's Day and International Seminar cum Exhibition on Trans Border Cultures and Communication.
		मुख्य शीर्ष-2205 नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय 2205.00.107.08.00.35 MH-2205 Nehru Memorial Museum and Library 2205.00.107.08.00.35	1.16	2.48 (Plan)	नेहरू तारामंडल के उन्नयन के लिए। For up-gradation of Nehru Planetarium.
4.	भारी उद्योग विभाग	6858.03.190.14.00.00.55- स्कूटर्स इंडिया लि. को ऋण			एसआईएल के कार्मिकों के बकाया वेतन/ मजदूरी/सांविधिक देयता तथा वीआरएस के कार्यान्वयन के भुगतान हेतु व्यय को बढ़ाने के लिए ऋण तथा अग्रिम।
	Department of Heavy Industry	6858.03.190.14.00.00.55-Loans to Scooters India Ltd.	0.00	1.89	Loans & advances to augment the expenditure towards payment of outstanding salaries/wages, statutory dues and implementation of VRS to the employees of SIL.
		6858.60.190.09.00.55- हिंदुस्तान केबल लि. (एचसीएल) को ऋण			एचसीएल के कार्मिकों के बकाया वेतन/ मजदूरी/सांविधिक देयता तथा वीआरएस के कार्यान्वयन के भुगतान हेतु व्यय को बढ़ाने के लिए ऋण तथा अग्रिम।
		6858.60.190.09.00.55-Loans to Hindustan Cables Ltd. (HCL)	0.00	118.93	Loans & advances to augment the expenditure towards payment of outstanding salaries/wages, statutory dues and implementation of VRS to the employees of HCL.
		6858.60.190.19.00.55- एचएमटी लि. को ऋण			एचएमटी लि. के कार्मिकों के बकाया वेतन/ मजदूरी/सांविधिक देयता तथा वीआरएस के कार्यान्वयन के भुगतान हेतु व्यय को बढ़ाने के लिए ऋण तथा अग्रिम।
		6858.60.190.19.00.55-Loans to HMT Ltd.	0.00	172.34	Loans & advances to augment the expenditure towards payment of

अनुदानों की पूरक मांगें 2012-2013 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
					outstanding salaries/wages, statutory dues and implementation of VRS to the employees of HMT Ltd.
	6858.60.190.24.00.55- त्रिवेणी स्ट्रक्चर्ल्स लि. (टीएसएल) को ऋण				टीएसएल के कार्मिकों के बकाया वेतन/मजदूरी/सांविधिक देयता तथा वीआरएस के कार्यान्वयन के भुगतान हेतु व्यय को बढ़ाने के लिए ऋण तथा अग्रिम।
	6858.60.190.24.00.55-Loans to Triveni Structural Ltd. (TSL)		0.00	3.44	Loans & advances to augment the expenditure towards payment of outstanding salaries/wages, statutory dues and implementation of VRS to the employees of TSL.
	6858.60.190.25.00.55- तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि. (टीएसपीएल) को ऋण				टीएसपीएल के कार्मिकों के बकाया वेतन/मजदूरी/सांविधिक देयता तथा वीआरएस के कार्यान्वयन के भुगतान हेतु व्यय को बढ़ाने के लिए ऋण तथा अग्रिम।
	6858.60.190.25.00.55-Loans to Thungbhadra Steel Products Ltd. (TSPL)		0.00	2.62	Loans & advances to augment the expenditure towards payment of outstanding salaries/wages, statutory dues and implementation of VRS to the employees of TSPL.
	4860.05.190.02.00.54- एनईपीए लि. में निवेश				7% गैर संचयी अधिमान शेयर कैपिटल के रूप में एनईपीए लि. के कार्मिकों को वीआरएस के भुगतान हेतु व्यय को बढ़ाने के लिए निवेश
	4860.05.190.02.00.54-Investment NEPA Ltd.		0.00	(i) 60.00	Investment to augment the expenditure for the payment of VRS to employees to NEPA Ltd. in the form of 7% non cumulative preference share capital.
	6860.05.190.01.00.00.55- एनईपीए लि. को ऋण				एनईपीए लि. के कार्मिकों के बकाया वेतन/मजदूरी/सांविधिक देयता तथा वीआरएस के कार्यान्वयन के भुगतान हेतु व्यय को बढ़ाने के लिए ऋण तथा अग्रिम।
	6860.05.190.01.00.55-Loans to NEPA Ltd.		0.00	(ii) 27.43	Loans & advances to augment the expenditure towards payment of outstanding salaries/wages, statutory dues to the employees of NEPA Ltd.
	6858.05.190.02.00.55- हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन लि. (एनपीपीसी) को ऋण				एचपीसी की सहायक कंपनी, एनपीपीसी लि. के कार्मिकों के बकाया वेतन/मजदूरी/सांविधिक देयता तथा वीआरएस के कार्यान्वयन के भुगतान हेतु व्यय को बढ़ाने के लिए ऋण तथा अग्रिम।

अनुदानों की पूरक मांगें 2012-2013 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
		6860.05.190.02.00.55-Loans to Hindustan Paper Corporation Ltd. for (NPPC)	0.00	8.24	Loans & advances to augment the expenditure towards payment of outstanding salaries/wages, statutory dues to the employees of NPPC Ltd., subsidiary of HPC.
		2852.80.003.01.07.31- डेवलपमेंट काउंसिल फार आटोमोबाइल एण्ड एलाइड इण्डस्ट्रीज (डीसीएएआई) को सामान्य सहायता अनुदान 2852.80.003.01.07.31 - Grant-in-aid - General to Development Council For Automobile & Allied Industries (DCAAI)	0.00	2.85	उनकी अनुसंधान व विकास संबंधी नई परियोजनाओं के लिए डेवलपमेंट काउंसिल फोर आटोमोबाइल एण्ड एलाइड इण्डस्ट्रीज (डीसीएएआई) के भुगतान को बढ़ाने के लिए अनुदान सहायता । Grant-in-aid General to ougement towards payment to Development Council for Automobile & Allied Industries (DCAAI) for their new R & D Projects.
5.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	3601-राज्यों सरकार को सहायता- अनुदान (मुख्य शीर्ष) 04-केन्द्रीय प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान 165-प्राथमिक शिक्षा-अन्य अनुदान 10-मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की स्कीम (एसपीक्यूईएम) 10.00.31-सहायता-अनुदान सामान्य			वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य सरकार से अनुमोदित अतिरिक्त प्रस्ताव।
	Ministry of Human Resource Development Department of School Education & Literacy	3601-Grants-in-aid to State Govt. (Major Head) 04-Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes 165-Elementary Education - Other Grants 10-The Scheme for Providing Quality Education in Madrassas (SPQEM) 10.00.31-Grants-in-aid General	153.99	23.01	More proposals from State Government approved during 2012-13.
		2202-सामान्य शिक्षा 01-प्राथमिक शिक्षा 800-अन्य व्यय 36-मदरसों में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की स्कीम (एसपीक्यूईएम) 36.00.50-अन्य प्रभार 2202-General Education 01-Elementary Education 800-Other Expenditure 36-The Scheme for Providing Quality Education in Madrassas (SPQEM) 36.00.50-Other charges	0.00	0.50	आईसीटी स्कूल स्कीम के मूल्यांकन और स्कूली शिक्षा संबंधी एमएमपी की डीपीआर तैयार करने के लिए निधि जारी करना। Release of fund to evaluate ICT schools scheme and for preparation of DPR of MMP on School Education.

अनुदानों की पूरक मांगें 2012-2013 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
		3601-राज्य सरकार को सहायता- अनुदान (मुख्य शीर्ष) 04-केन्द्रीय प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना 34-माध्यमिक शिक्षा-अन्य अनुदान 34.01-शिक्षा का व्यवसायीकरण 34.01.35-पूँजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान 3601-Grants-in-aid to State Govt. (Major Head) 6.55 4.47			राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण परियोजना अनुमोदन बोर्ड में अनुमोदित नए और विद्यमान व्यावसायिक स्कूलों के लिए अतिरिक्त निधियां अपेक्षित हैं। Due to receipt of proposals from States, additional funds are required for new and existing vocational schools approved in Project Approval Board.
		04-Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes 789-Special Component Plan for Scheduled Castes 34-Secondary Education-Other Grants 34.01-Vocationalisation of Education 34.01.35-Grants for Creation of Capital Assets.			
		3601-राज्य सरकार को सहायता- अनुदान (मुख्य शीर्ष) 04-केन्द्रीय प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान 796-जनजातीय क्षेत्र उप-आयोजना 24-माध्यमिक शिक्षा-अन्य अनुदान 24.01-शिक्षा का व्यवसायीकरण 24.01.35-पूँजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान 3601-Grants-in-aid to State Govt. (Major Head) 2.60 4.96			राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण परियोजना अनुमोदन बोर्ड में अनुमोदित नए और विद्यमान व्यावसायिक स्कूलों के लिए अतिरिक्त निधियां अपेक्षित हैं। Due to receipt of proposals from States, additional funds are required for new and existing vocational schools approved in Project Approval Board.
		04-Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes 796-Tribal Area Sub-Plan 24-Secondary Education-Other Grants 24.01-Vocationalisation of Education 24.01.35-Grants for Creation of Capital Assets.			
		3601-राज्य सरकार को सहायता- अनुदान (मुख्य शीर्ष) 04-केन्द्रीय प्रायोजित आयोजना स्कीमों के लिए अनुदान 180-माध्यमिक शिक्षा-अन्य प्रभार 01-शिक्षा का व्यावसायीकरण 01.00.35-पूँजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान			2012-13 के दौरान अनुमोदित नए तथा विद्यमान स्कूलों के लिए अतिरिक्त निधियों हेतु राज्य सरकारों से अधिक प्रस्ताव।

अनुदानों की पूरक मांगें 2012-2013 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
	3601-Grants-in-aid to State Govt. (Major Head)		20.85	23.92	More Proposal from State Governments for additional funds for new and existing schools approved during 2012-13.
	04-Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes				
	180-Secondary Education-Other Grants				
	01-Vocationalisation of Education				
	01.00.35-Grants for Creation of Capital Assets.				
	3601-राज्य सरकार को सहायता- अनुदान (मुख्य शीर्ष)				राज्यों से पात्र प्रस्ताव प्राप्त हुए।
	04-केन्द्रीय प्रायोजित आयोजना स्कीमों के लिए अनुदान				
	172-माध्यमिक शिक्षा-अनुसंधान और प्रशिक्षण				
	02-स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी				
	02.00.31-सामान्य सहायता अनुदान				
	3601-Grants-in-aid to State Govt. (Major Head)		193.68	17.70	Eligible proposals received from States.
	04-Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes				
	172-Secondary Education-Research and Training				
	02-Information & Communication Technologies in School				
	02.00.31-Grants-in-aid General				
	3601-राज्य सरकार को सहायता- अनुदान (मुख्य शीर्ष)				आवर्ति/अनावर्ति अनुदानों को जारी करने के लिए राज्यों से पात्र प्रस्ताव तथा मिशन मोड परियोजना को मूर्त रूप देने के प्रस्ताव की प्राप्ति तथा आईसीटी स्कीम का मूल्यांकन। इसके अतिरिक्त, इस वित्तीय वर्ष में 3000 स्कूलों को अनुमोदित करने का लक्ष्य था।
	04-केन्द्रीय प्रायोजित आयोजना स्कीमों के लिए अनुदान				
	789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक				
	33-माध्यमिक शिक्षा-अनुसंधान और प्रशिक्षण				
	33.01-स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी				
	33.01.31-सामान्य सहायता अनुदान-				
	3601-Grants-in-aid to State Govt. (Major Head)		59.40	5.35	Receipt of eligible proposals from States for release of recurring/non-recurring grants and proposal of conceptualization of Mission mode project and evaluations of ICT scheme. In addition, there was target to approve 3000 schools in this financial year.
	04-Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes				
	789-Special Component Plan for Scheduled Castes				
	33-Secondary Education-Research and Training				
	33.01-Information & Communication Technologies in School				
	33.01.31-Grants-in-aid General				

अनुदानों की पूरक मांगें 2012-2013 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
6.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय उच्चतर शिक्षा विभाग	2251.00.090.17.99.50 सचिवालय- अन्य चार्ज			कापीराइट के आनलाइन फाइलिंग साफ्टवेयर से संबंधित कार्य के संबंध में एनआईसी को भुगतान करने के लिए।
	Ministry of Human Resource Development Department of Higher Education	2251.00.090.17.99.50 Secretariat - Other Charges	0.18	0.11	To make the payment to NIC in connection with the work relating to online filing software of copyright.
		2202.80.800.33.00.50 यूनेस्को के लक्ष्य और उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए समितियों की बैठकें/सम्मेलन व प्रदर्शनियों का आयोजन करना।			मंत्रालयी समीक्षा बैठक संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए।
		2202.80.800.33.00.50 Holding of Meeting of Committees Conference and Organisations of exhibition in furtherance of UNESCO's aims and objectives	0.25	0.0.85	To meet the expenditure on Ministerial review meeting.
		2202.05.001.01.01.06 हिन्दी निदेशालय			चिकित्सा उपचार की प्रतिपूर्ति/भुगतान के लिए अपेक्षित अतिरिक्त निधियां।
		2202.05.001.01.01.06 Directorate of Hindi	0.15	0.15	Additional funds required for reimbursement/ payment of Medical Treatment.
		202.80.001.09.00.06 विदेश में शैक्षिक संस्थाएँ			चिकित्सा उपचार की प्रतिपूर्ति/भुगतान के लिए अपेक्षित अतिरिक्त निधियां।
		202.80.001.09.00.06 Educational Institutions Abroad	0.22	0.24	Additional funds required for reimbursement/ payment of Medical Treatment.
		3601.04.174.01.00.31 भारत सरकार की तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना (ईएपी-0029)			वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य सरकार से अनुमोदित अतिरिक्त प्रस्ताव।
		3601.04.174.01.00.31 Technical Education Quality Improvement Project of Government of India (EAP0029)	46.72	34.16	More proposals from State Government approved during 2012-13.
		3601.04.789.03.01.31 भारत सरकार की तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना (ईएपी)			वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य सरकार से अनुमोदित अतिरिक्त प्रस्ताव।
		3601.04.789.03.01.31 Technical Education Quality Improvement Project of Government of India (EAP)	11.95	4.26	More proposals from State Government approved during 2012-13.

अनुदानों की पूरक मांगें 2012-2013 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
	3601.04.796.08.01.31				वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य सरकार से अनुमोदित अतिरिक्त प्रस्ताव।
	भारत सरकार की तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना (ईएपी)				More proposals from State Government approved during 2012-13.
	3601.04.796.08.01.31		5.97	2.16	
	Technical Education Quality Improvement Project of Government of India (EAP)				
	3601.04.168.02.00.31				वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य सरकार से अनुमोदित अतिरिक्त प्रस्ताव।
	डिग्री कालेजों के लिए राज्य सरकार से सहायता				More proposals from State Government approved during 2012-13
	3601.04.168.02.00.31		0.01	9.00	
	Assistance to State Government for Degree Colleges.				